समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2021–23 मूल्य : रू. 10/–

Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित

NABET Gold Category

वर्ष: 18 | अंक: 10 | भोपाल | प्रकाशन दिनांक: 25.05.2021

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह | पृष्ट–08 | (परिपत्र क्र. 21–26)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219680
CG-DL-E-01062020-219680

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2020/ज्येष्ठ 11, 1942
No. 1532] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020/JYAISTHA 11, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2020

का.आ. 1702(अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 सितंबर, 2006 के सां. आ. 1642 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है, नामत:—

i. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;

ii. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;

iii. मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

यह अधिसूचना 01.07.2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 2/1(5)/2019-पीएंडजी/नीति (खंड-IV)]

ए. के. शर्मा, सचिव

परिपत्र क्रमांक : 21

अनुसूची – अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

(दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00
कुशल	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
उच्चकुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00

(दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	2200.00	84.61	87000.00	334.64	335.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.58	368.00
कुशल	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.58	421.00
उच्चकुशल	9735.00	374.42	2500.00	96.15	12235.00	470.58	471.00

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेषटीप– उपर्युक्त अनुसूची–क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन स विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टुबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचना न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1–ए))

हस्ता/–

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रमायुक्त,मध्यप्रदेश, इन्दौर

Ref: MPSSIO/42-A/2021-22/

परिपत्र क्रमांक : 22

Circular No. 148/04/2021-GST

CBEC-20/06/04/2020-GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing
****

New Delhi, dated the18th May, 2021

To,

The Principal Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners / Commissioners of Central Tax (All)

Madam/Sir,

Subject: Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of the provision of extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration under section 30 of the CGST Act, 2017 and rule 23 of the CGST Rules, 2017 – reg.

As you are aware *vide* Finance Act, 2020, section 30 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as "CGST Act") was amended and the same has been notified with effect from 01.01.2021 *vide* notification No. 92/2020- Central Tax, dated 22.12.2020. The amended provision provides for extension of time limit for applying for revocation of cancellation of registration on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, by:

(a) the Additional or Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a) above

Consequently, changes have also been made in rule 23 and **FORM GST REG-21** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "CGST Rules") vide notification No.15/2021- Central Tax, dated 18.05.2021.

2. In order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of above rule across the field formations, till the time an independent functionality for extension of time limit for applying in **FORM GST REG-21** is developed on the GSTN portal, the Board, in exercise of its powers conferred by section 168 (1) of the CGST Act, hereby provides the following guidelines for implementation of the provision for extension of time limit for applying for revocation of cancellation of registration under the said section and rule.

3. As has been provided in section 30 of the CGST Act, any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer in **FORM GST REG-21**, for revocation of cancellation of registration within 30 days from the date of service of the cancellation order. In case the registered person applies for revocation of cancellation beyond 30 days, but within 90 days from the date of service of the cancellation order, the following procedure is specified for handling such cases:

4.1. Where a person applies for revocation of cancellation of registration beyond a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration but within 60 days of such date, the said person may request, through letter or e-mail, for extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration to the proper officer by providing the grounds on which such extension is sought. The proper officer shall forward the request to the jurisdictional Joint/Additional Commissioner for decision on the request for extension of time limit.

4.2 The Joint/Additional Commissioner, on examination of the request filed for extension of time limit for revocation of cancellation of registration and on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, may extend the time limit to apply for revocation of cancellation of registration. In case the request is accepted, the extension of the time limit shall be communicated to the proper officer. However, in case the concerned Joint/Additional Commissioner, is not satisfied with the grounds on which such extension is sought, an opportunity of personal hearing may be granted to the person before taking decision in the matter. In case of rejection of the request for the extension of time limit, the grounds for such rejection may be communicated to the person concerned, through the proper officer.

4.3 On receipt of the decision of the Joint/Additional Commissioner on request for extension of time limit for applying for revocation of cancellation of registration, the proper officer shall process the application for revocation of cancellation of registration according to the law and procedure laid down in this regard.

5. Procedure similar to that explained in paragraph 4.1 to 4.3 above, shall be followed mutatis-mutandis in case a person applies for revocation of cancellation of registration beyond a period of 60 days from the date of service of the order of cancellation of registration but within 90 days of such date.

6. The circular shall cease to have effect once the independent functionality for extension of time limit for applying in FORM GST REG-21 is developed on the GSTN portal.

7. Difficulties, if any, in implementation of these instructions may be informed to the Board (gst-cbec@gov.in). Hindi version follows.

(Sanjay Mangal)
Commissioner (GST)

परिपत्र क्रमांक : 23

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/23(कोविड)/2021–22/169–176 दिनांकः 22.05.2021

प्रति,

श्री ओमप्रकाश सखलेचा
माननीय मंत्री, म.प्र. शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः प्रदेश के शासकीय औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों हेतु लीज पर आवंटित भूमि/भवन को "FREE HOLD" करने तथा नगर निकायों द्वारा आरोपित सम्पत्ति कर से मुक्त कराने बावत्।

आदरणीय महोदय,

बहुत लम्बे समय से प्रदेश के उद्योगों द्वारा विषयांकित के संबंध में (1) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड करने तथा (2) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर नगर निकायों द्वारा आरोपित सम्पत्ति कर से मुक्ति प्रदान करने की मांग की जा रही है। आपके जन प्रतिनिधि होने के नाते तथा प्रदेश में एमएसएमई की प्रतिनिधि संस्था के प्रतिनिधित्व के कारण हम आपको यह बताना चाहते है कि, शासन/प्रशासन द्वारा उद्योगों की इस लंबे समय से की जारही वाज़िब मांग को तज्जवो नहीं दिया जा रहा है। शायद इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक अधिकारियों की सोच एवं इच्छा शक्ति है और इस कारण से प्रशासनिक अधिकारी नित्य नये तर्क देकर महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम नहीं होने दे रहे है।

आप प्रदेश के एमएसएमई के मुखिया के नाते हमारी आशा के केन्द्र बिन्दु हैं। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि फ्री होल्ड होने से उद्यमी तथा शासन को होने वाले लाभ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप स्वयं दोनों के दायित्व से बोझिल है। हम छत्तीसगढ़ राज्य की पद्धती को यहॉ भी अपना सकते हैं। आप भी इस तथ्य से विज्ञ हैं कि, वर्तमान में भी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि/भवन एवं इकाइयों का हस्तांतरण लगातार हो रहा है और अधिकारी पूर्णरूपेण अपना प्रशासन कर रहे है। यह सोच कि, उद्यमी जमीन लेकर उसे अधिक दाम पर दूसरे को बेच कर लाभ कमायेगा, यह एक नकारात्मक सोच है, क्योंकि, उद्यमी, उद्योग संचालित करने के लिये भूमि लेता है न कि, बेचने के लिये और अगर कोई उद्यमी अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है तो औद्योगिक भूमि फ्री होल्ड होने पर उसकी उस उद्योग से निकासी सरल हो जावेगी, जो अंततोगत्वा प्रदेश के हित में ही है। नया उद्यमी नया उद्योग प्रारंभ करेगा और इस तरह से शासन को राजस्व के साथ–साथ प्रदेश में रोजगारों का सृजन भी होगा।

दूसरे बिन्दु पर हम यह कहना चाहेंगे कि, सम्पत्ति कर भूमि/भवन के स्वामी पर लगता है। औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीन जब तक फ्री होल्ड नहीं होती तब तक उद्योग से संपत्ति कर लेना कहॉ तक वाजिब है, आप स्वयं विचार करें। परन्तु यह सब करने के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लौह पुरूष की आवश्यकता है और वह आपका पैतृक गुण हैं। हम प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों की शीर्षस्थ संस्था म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की ओर से आपसे अनुरोध करते है कि, उपरोक्त दोनों कार्यों को करने का बीड़ा आप उठायें, जिससे प्रदेश का उद्यमी आपको एक लोह पुरूष की तरह हमेशा याद रख सके। हम तो आपको साधु–वाद कहेगे ही, साथ ही साथ आप स्वयं अपने इस कार्य पर गर्व महसूस करेगें।

चिर आशाओं एवं विश्वास के साथ।
सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

परिपत्र क्रमांक : 24

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/12/2021–22/177–185 दिनांकः 24.05.2021

प्रति,

श्री शिवराजसिंह चौहान
माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः गत वर्ष कोरोना काल में आपके द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन बावत्।

आदरणीय महोदय,

गत वर्ष आपने कोरोना काल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न दो घोषणायें की थी।

1. 50 श्रमिकों तक फेक्ट्री लायसेंस के पंजीयन से छूट।
2. उद्योगों पर आरोपित सम्पत्ती कर से छूट।

1. 50 श्रमिकों तक फेक्ट्री लायसेंस के पंजीयन से छूटः–

आदरणीय महोदय आपके उक्त घोषणाओं के संदर्भ में श्रम मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अध्यादेश म.प्र. के असाधारण राजपत्र क्रमांक 263 दिनांक 20 अगस्त 2020 को प्रकशित किया गया कि, 10 के स्थान पर 50 श्रमिकों तक की इकाइयां को फेक्ट्री एक्ट लायसेंस नहीं लागू होगा। चूंकि, यह अध्यादेश था तथा छः माह के अन्दर इसे विधान सभा के सत्र में लाकर एक्ट बनाना था। परन्तु संबंधित विभाग द्वारा इसे विधान सभा सत्र के पटल पर नहीं रखा गया, जिससे यह एक्ट नहीं बना तथा छः माह पश्चात यह अध्यादेश स्वतः ही निरस्त हो गया। इस तरह से आपके द्वारा की गई घोषणा निरर्थक हो गई।

2. उद्योगों पर आरोपित सम्पत्ती कर से छूटः–

गत वर्ष कोरोना काल में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ सम्पन्न वेबीनार दिनांक 5 मई 2020 को आप द्वारा यह आश्वस्त कहा गया था कि, उद्योगों पर सम्पत्ती कर तथा संधारण शुल्क दोनों में एक ही आरोपित किया जाय। इस संबंध में तत्कालीन प्रमुख सचिव एमएसएमई विभाग श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा एक पत्र प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास को लिखा गया, जिसमें यह बताया गया कि, शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि उद्योग विभाग की है। अतः इस भूमि/भवन पर सम्पत्ती कर वसूल नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस पत्र तथा आपकी घोषणा दोनों पर ही कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः आपकी द्वारा की गई घोषणा निरर्थक हो गई।

हम विश्वास करते हैं कि, हमारे मुख्य मंत्री जो कहते हैं वही प्रदेश में होता है। इस विश्वास को आघात लगा है और इससे मुख्य मंत्री की छवि पर भी असर आता है। अतः हम आपसे पुनः अनुरोध करते है कि, उपरोक्त दोनों घोषणाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभागों को शीघ्र निर्देश जारी करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

परिपत्र क्रमांक : 25

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/215/2021–22/186–194 दिनांकः 25.05.2021

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम,
16–ए, सेडमेप भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल–462011 (म.प्र.)
facilitation@mpidc.co.in

विषयः प्रदेश के औद्योगिक विकास केन्द्रों में उद्योगों को आवंटित भूमि पर प्रभार्य संधारण शुल्क में वृद्धि बावत।

महोदय,

कोरोना महामारी काल में एमएसएमई को संरक्षण के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कई प्रयास किये गये है, लेकिन यथार्थ में एमएसएमई को कोई विशेष सहयोग नही मिल पाया है। यहॉ आपको यह बताने की आवश्यकता नही है कि, मार्च/अप्रेल 2020 से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कोरोना महामारी के कारण विभिन्न कठिनाइयों के साथ ही साथ आर्थिक परेशानी से भी ग्रस्त है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रदेश के एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा वार्षिक संधारण शुल्क मे वृद्धि की जाना प्रदेश के एमएसएमई को ओर अधिक आर्थिक संकट में डलता हैं। जैसा कि हमारी सदस्य इकाई मेसर्स नर्मदा एसिडवेयर प्रा. लि. जबलपुर तथा परफेक्ट फायर ब्रिक्स प्रा.लि. जबलपुर द्वारा प्रेषित पत्र से स्पष्ट है कि, 70 प्रतिशत तक वार्षिक संधारण शुल्क में वृद्धि की गई है।

अतः हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि, कम से कम कोरोना काल की अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि न की जावें तथा की गई वृद्धि को शीघ्रातिशीघ्र वापस लिया जावे।

सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

वर्षः 18	अंकः 10	दि.–25.05.2021

परिपत्र क्रमांक : 26

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/12/2021–22/196–205 दिनांकः 27.05.2021

प्रति,

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह,
माननीय मंत्री, म.प्र. शासन,
श्रम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः कारखाना अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को फौजदारी न्यायालयों में चलाने के बजाय श्रम न्यायलयों में सुनवाई कराने बावत्।

आदरणीय महोदय,

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तथा Ease of Doing Business के संदर्भ में हम आपसे निवेदन करते है कि, उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों से संबंधित प्रकरण श्रम न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाता था। विगत कई वर्षों से राज्य शासन द्वारा श्रम न्यायालयों में पदस्थ न्यायधीशों के पद की शक्ति वापस लेकर इन प्रकरणों के निराकरण के लिये फौजदारी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस आदेश के विरोध में लेबर एसोसिएशन सतना एवं जबलपुर द्वारा म.प्र.उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा म.प्र. शासन के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया। निरस्त किये गये आदेश के विरोध में श्रम मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अपील C.A.007613/2009StateM.P. V/s Labour Bar Association जिसका Dairy No. 25/82/09 है, लंबित है।

जहॉ तक मुझे संज्ञान है कि, म.प्र. शासन का यह तर्क है कि, श्रम न्यायालयों को वह अधिकार नहीं हैं जो फौजदारी न्यायालयों को होते हैं। यह तर्क उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि,, 90 प्रतिशत प्रकरण तो श्रम न्यायालय के अधिकारों के अंतर्गत आदेशित किये जा सकते है, शेष 10 प्रतिशत प्रकरणों को श्रम न्यायालय फौजदारी न्यायालय में निराकरण हेतु आदेशित कर सकता है। तब सिर्फ वही प्रकरण जो गंभीर प्रकृति के हैं वही फौजदारी न्यायालय में निराकृत होने के लिये प्रस्तुत किये जायेगें। श्रम न्यायालयों में आवश्यकतानुसार फौजदारी न्यायालयों के न्यायधीशों की भी सेवा ली जा सकती है।

अतः हमारा आपसे निवेदन है कि, उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण वापस लेने की कृपा करें तथा श्रम से संबंधित सभी प्रकरण श्रम न्यायालय द्वारा निराकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश निकालें, जिससे न सिर्फ उद्योगपति बल्कि श्रमिक भी राहत महसूस करेगें और उनके प्रकरणों का निराकरण भी शीघ्र हो सकेगा। यह निर्णय Ease of Doing Business के अन्तर्गत एक बड़ी पहल होगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in